संख्या:42/2016/4233जेएल/22-3-15-100(151)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी पूरनचन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री सीताराम, को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र दूरस्थ कारागार पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-49665/सामा-1(3)/नैनी मं0/2015, दिनांक 17-12-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी पूरनचन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री सीताराम को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, आगरा में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:42/2016/4233जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in